

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-355) अलेसे-1/255

दिनांक:- 03/06/25

आदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0-5170) कार्यालय-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स, कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने स्वयं के नाम परिवर्तन की राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0-5170) कार्यालय-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स, कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर का नाम परिवर्तित कर "सुरेन्द्र सिंह " करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-355) अलेसे-1/255

दिनांक:- 03/06/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स, कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/ डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)